[1][नियम 31ख : आनलाइन गेमिंग जिसके अंतर्गत आनलाइन मनी गेमिंग सम्मिलित है, की दशा में पूर्ति का मूल्य

इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आनलाइन गेमिंग की पूर्ति का मूल्य, जिसके अंतर्गत आनलाइन मनी गेमिंग में अंतर्वलित अनुयोज्य दावों की पूर्ति सम्मिलित है, धन या धन का मूल्य, जिसके अंतगर्त वर्चुअल डिजीटल आस्तियां सम्मिलित है, के माध्यम से प्लेयर द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकार को संदत्त रकम या संदेय या पूर्तिकार के पास जमा कुल रकम होगी :

परंतु पूर्तिकार द्वारा प्लेयर को चाहे किसी भी कारण से , जिसके अंतर्गत प्लेयर द्वारा पूर्तिकार को संदत्त रकम या पूर्तिकार के पास जमा रकम का किसी धटना में भाग लेने के लिए उपयोग न करना सम्मिलित है , वापस की गई कोई रकम की आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी ।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 51/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा नियम 31ख और 31ग अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)। पहले नियम 31ख एवं 31ग अधिसूचना क्रमांक 45/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 06.09.2023 द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे, जो कि इसके पश्चात अधिसूचना क्रमांक 51/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा अधिक्रांत किया गया (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।